बासमती चावल के प्रचार हेतु अभियान - रुचि प्रकटन संदर्भ की शर्तें

20/10/2015

बासमती चावल, भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादों में से एक है। वर्ष 2000 में 7 लाख मैट्रिक टन से वर्ष 2015 में 37 लाख मैट्रिक टन तक की बढ़ोत्तरी के साथ पिछले कुछ वर्षों में बासमती चावल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह दुनिया के विभिन्न भागों में 150 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। इस अवधि के दौरान इसके क्षेत्र तथा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और फ़सल सर्वेक्षण के अनुसार खरीफ 2015 के दौरान 87 लाख मैट्रिक टन बासमती धान के उत्पादित होने का अनुमान है।

एपीडा द्वारा हर वर्ष लगभग 12 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेलों में भाग लिया जाता है और बासमती चावल और मोनिटर किए गए अन्य अनुसूचित कृषि उत्पादों के निर्यात का प्रचार किया जाता है। भारत से बासमती चावल का अधिकांश निर्यात थोक में और आयातकों के निजी लेबल के द्वारा होता है। अब, एपीडा द्वारा भारतीय ब्रांडों के खुदरा पैक में बासमती चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है। आरंभ में, सऊदी अरब और ईरान में प्रचार किए जाने का प्रस्ताव है जहां भारत से 50% से अधिक निर्यात किया जाता है। प्रचार गतिविधि में इन स्टोर प्रचार, प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन और होटल में आयोजित इवेंट शामिल है जिसमें आयातकों, मीडिया और अन्य मत देने वाले सलाहकारों को आमंत्रित किया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य बासमती चावल के बारे में उपभोक्ता की बेहतर ज्ञान और जागरुकता प्रदान करना है।

इस अभियान को बनाने और कार्यान्वित करने हेतु विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन एजेंसियों से रुचि प्रकटन आमंत्रण है। यह कार्यक्रम एपीडा द्वारा एक कार्य योजना के रुप में प्रारंभ किया जाएगा जिसके द्वारा भारतीय बासमती चावल के निर्यात को सामान्य रुप से इन बाज़ारों में प्रोत्साहित किया जाएगा और भाग लेने वाले ब्रांडों को विशेष तौर पर उपभोक्ता संबंधी ज्ञान और भारतीय बासमती चावल के अधिमूलन हेतु जानकारी दी जाएगी । इस कार्यक्रम में प्रतिभागी एजेंसियों के विचारों के योगदान के साथ उचित रुप से समायोजित होगा। अत:, एजेंसियों के लिए आवश्यक है कि निर्धारित बाज़ार और उत्पाद के उनकी अवधारणा और समझ के अनुसार अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के व्यापक अवधारणा और संरचना को प्रस्तुत करें।

कार्यक्षेत्र

क.) विशिष्ट रुप से भारतीय ब्रैंडों को सामान्य रूप में और खुदरा पैक में बासमती चावल हेतु विकासशील प्रोत्साहन कार्यनीति; कार्य के अंतिम स्त्रोत के आधार पर विवरण पुस्तिका, पुस्तिका (लीफलेट), पैनल,

पोस्टर, मल्टीमीडिया, बैनर तथा प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और सामाजिक मीडिया, डिस्प्ले विज्ञापनों आदि सृजनात्मक स्त्रोतों की सृष्टि और डिजाइनिंग।

ख.) मीडिया संबंधी, एडवर्टोरियल, सामाजिक मीडिया, न्यूजलैटर आदि सहित जन सूचना गतिविधियां।

एपीडा चयन समिति द्वारा अपनी तकनीकी क्षमता तथा भारतीय ब्रांडों के लिए (प्राथमिक रुप से खाद्य उत्पादों में) विदेशी बाज़ारों में इस प्रकार के प्रचार के पूर्व अनुभव के आधार पर आवेदक कंपनियों की संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी (आवेदक कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा)। चुने गए (शॉर्टलिस्टिड) फर्मों के लिए आवश्यक है कि वह अपनी अवधारणा चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। अवधारणा और कार्यनीति के सामान्जस्य के बाद एपीडा द्वारा चुने गए (शॉर्टलिस्टिड) बिडर संबंधी जानकारी संक्षिप्त सूची में शामिल अन्य बिडरों को प्रदान की जाएगी।

निम्नलिखित न्यूनतम योग्यताओं पर जो एजेंसियां खरी उतरेंगी उन्हें रुचि प्रकटन (ई.ओ.आई) के लिए आमंत्रित किया जाएगा :

पात्रता की योग्यताएं :

(क.) एजेंसी, एक पंजीकृत व्यापार इकाई हो। ई.ओ.आई में उल्लेखित टैन/ प्रत्यक्ष कर/ आयकर/ व्यापार कर/ वैट आदि जो उपयुक्त हो और प्रमाण-पत्र / प्रमाण की प्रतिलिपि को संलग्न किया जाए। यह आवश्यक है कि ये दस्तावेज़ आवेदक संगठन के नाम पर ही हो, न कि समूह / सहायक संगठनों के नाम पर।

(ख.) कार्य के स्त्रोत के अनुसार संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है।

(ग.) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान पांच करोड़ रुपए की कुल बिक्री / टर्नओवर।

(घ.) एजेंसी द्वारा एक स्व-प्रमाणित स्वीकृति / शपथ प्रस्तुत की जाए जिसमें उल्लेख किया जाए कि इस एजेंसी को कभी किसी भी सरकारी संगठन के द्वारा ब्लाक लिस्ट (वर्ज्य सूची) में नहीं डाला गया है और यह वर्तमान तिथि के आधार पर लागू नहीं है।

(ङ.) एजेंसी के पास वैध आई.एन.एस प्रत्यायन हो।

एपीडा को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :

(क.) बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध / आदेश को चयन करने से पहले प्रस्ताव को किसी भी समय स्वीकार या अस्वीकार कर देने का अधिकार प्राप्त है।

(ख.) एपीडा को नियम और चयन प्रक्रिया की शर्तों को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है।

(ग.) एपीडा को किसी भी खण्ड की विवेचना करने का अधिकार प्राप्त है। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय अंतिम माना जाएगा और दोनो पक्ष अर्थात् बिडर तथा एपीडा आबद्‌ध होंगे।

किसी भी कौशल कार्य की अस्वीकृति / चयन न किए जाने का कोई लागत नहीं है।

इच्छुक पार्टी (पक्ष) अपना रूचि प्रकटन) सीलबंद लिफाफे पर 'बासमती ब्रांड प्रचार हेतु रुचि प्रकटन' लिख कर 9 नवंबर, 2015 को 3 बजे तक श्री ए.के.गुप्ता, निदेशक (बी.ई.डी.एफ) को प्रस्तुत कर सकते हैं।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्‌य उत्पाद निर्यात विकस प्राधिकरण (एपीडा)

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई ऑडिटोरियम बिल्डिंग,

अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110006,

फोन : (011) 26513219, 26515929, फैक्स : 26534870

कृपया ई.ओ.आई के प्रारुप को अगले पृष्ठ पर देखें।

बासमती चावल के प्रचार अभियान हेतु रुचि प्रकटन

1	संगठन का नाम	
2	पत्राचार का पता	
3	संपर्क व्यक्ति	
4	संपर्क विवरण फोन नं. मोबाइल नं. ई-मेल :	
5	कुल वेतन भुगतान पर स्टॉफ क्षमता सहित एजेंसी की प्रोफाइल	
6	प्रस्तावित कार्य / सेवाओं का विवरण	
7	समान प्रकृति के कार्य की हैंडलिंग का अनुभव। कंपनी को 5 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।	
8	2014-15 सहित पिछले 5 वित्त वर्षों के लिए आवेदक बिडर के टर्नओवर को प्रमाणित करते हुए सी.ए प्रमाण-पत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन से ही संबंधित हो, न कि समूह/ सहायक संगठनों से।	
9	पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि और पिछले 5 वर्षों के लिए नवीनतम आयकर प्रत्यायों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियां। ये दस्तावेज़ आवेदक संगठन के नाम पर ही हो, न कि समूह / सहायक संगठनों के नाम पर। अन्य शब्दों में, सभी प्रस्तुत दस्तावेज़ों में आवेदक संगठन का नाम एक ही हो।	
10	स्थायी खाता सं. पैन (स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि)	
11	सेवा कर / वैट संख्या. (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)	
12	टिन संख्या. (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)	
13	टैन संख्या. (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)	
14	आइ.एन.एस पंजीकरण संख्या	
15	ग्राहकों की संख्या	
16	प्रस्तुत बासमती ब्रांड प्रचार अभियान हेतु संकल्पना और कार्यनीति	पृथक रुप से संलग्न करें
17	अन्य उपयुक्त जानकारी	
18	अनुलग्नक की सूची	

उत्तरदायित्व

मैं / हम यह प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। आवेदक फर्म को कभी भी किसी सरकारी संगठन द्वारा वर्ज्य सूची में नहीं डाला गया है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित है कि न ही संगठन तथा न ही संगठन के किसी भी अधिकारी द्वारा अनैतिक अभ्यासों का आश्रय लिया गया है और किसी एजेंसी / कोर्ट द्वारा कोई जांच-पड़ताल / सतर्कता पूछताछ अनिर्णीत नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम

कंपनी सील के साथ पदनाम

तिथि :

स्थान :